रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2005/ज्येष्ठ 6, 1927
No. 528] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2005/JYAISTHA 6, 1927

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 मई, 2005

का.आ. 728(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार संख्या का.आ. 583(अ) दिनांक 22 जून, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में,—

1. पैरा 2, उप पैरा II, :—

(i) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :—

"(च) जल सुगता संकट को कम करने के उद्देश्य से सतही जल निकालने और शोधित मलजल/व्यवसायिक बहिस्रावों को भूमि, नदियों और अन्य जल निकायों में निस्तारित करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए स्कीम तैयार करने के लिए :"

(ii) खण्ड (ज) को हटा दिया जाए ;

(iii) (ट) खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :—

"(ट) राष्ट्रीय जल संसाधनों (दोनों सतही और भूमिगत जल (जियोजेनिक पहलू के अतिरिक्त) की जल गुणता की स्थिति की समीक्षा करना और जल गुणता में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए "हाट स्पाटों" को अभिनिर्धारण करना ;"

(iv) (ढ़) खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :—

"(ढ़) रखरखाव और/अथवा निर्धारित बेहतर उपयोग बनाए रखने के लिए गुणता के पुनरूद्धार के संबंध में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित के संदर्भ में सतह अथवा भूमिगत जल गुणता (जियोजैनिक पहलू के अलावा) से संबंधित किसी पर्यावरणीय मामले से निपटने के लिए ;"

2. पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :—

"6. प्राधिकरण अपने कार्यों के बारे में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा"

3. पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"7. प्राधिकरण का कार्यकाल 31 मार्च, 2007 तक होगा और प्राधिकरण की प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर के माह में बैठक होगी"।

[फा. सं. जे-15011/8/2000-एन.आर.सी.डी.]

नरेश दयाल, अपर सचिव

नोट :—मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण संख्या का.आ. 583(अ), दिनांक 22 जून, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया था और जिसे बाद में का.आ. 635(अ), दिनांक 27 मई, 2004 के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 25th May, 2005

S.O. 728(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 583(E) dated the 22nd June, 2001, namely :—

In the said order,—

1. In the paragraph 2, in Sub-paragraph II,—

(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely :—

"(f) to draw scheme for imposition of restriction in surface water abstraction and discharge of treated sewage/trade effluent on land, rivers and other water bodies with a view to mitigation crisis of water quality ;"

(ii) clause (h) shall be omitted;

(iii) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely :—

"(k) to review status of quality of national water resources (both surface water and ground water (except—that due to geogenic aspect) and identify 'Hot Spots' for taking necessary actions for improvement in water quality;"

(iv) for clause (n), the following clause shall be substituted, namely :—

"(n) to deal with any environmental issue concerning surface and ground water quality (except due to geogenic aspect) which may be referred to it by the Central Government or the State Government relating to the respective areas, for maintenance and/or restoration of quality to sustain designated-best uses;"

2. for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"6. The Authority shall furnish Annual Report about its activities to the Ministry of Environment and Forests."

3. for the paragraph 7, the following shall be substituted, namely :—

"7. The tenure of the Authority shall be up to 31st March, 2007 and the Authority shall meet in the month of June and December of each year".

[F. No. J-15011/8/2000-NRCD]

NARESH DAYAL, Addl. Secy.

Note :—The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 583(E), dated 22nd June, 2001 and subsequently was amended *vide* number S.O. 635(E), dated 27th May, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.